उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्या-170/78-1-2026-26/2025
लखनऊः दिनांकः 07 फरवरी 2026

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद-162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1198/78-1-2020-05आईटी/2020 दिनांक 20 अगस्त 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020, जिसे अधिसूचना संख्या-1830/78-1-2022-05आईटी/2020 दिनांक 18 नवम्बर 2022 द्वारा संशोधित किया गया है, को विस्तारित एवं संलग्नक के अनुसार पुनः संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- यह नीति "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (द्वितीय संशोधन)" के नाम से जानी जायेगी।

3- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (द्वितीय संशोधन), दिनांक 20 अगस्त 2025 से 02 वर्ष अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो, वैध होगी।

संलग्नक-यथोक्त

(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
5- महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
6- निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, उ0प्र0
7- निजी सचिव, मा0 विभागीय राज्य मंत्री जी, उ0प्र0।
8- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनुराग यादव)
प्रमुख सचिव।

"उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (द्वितीय संशोधन)"

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	यह नीति "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (द्वितीय संशोधन)" कही जायेगी।	
नीति के प्रस्तर का संशोधन	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (प्रथम संशोधन) जिसे "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (द्वितीय संशोधन)" कहा गया है, में नीचे स्तम्भ-1 की विद्यमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ-2 में अंकित व्यवस्था को रख दिया जायेगा, अर्थात	
नीति का प्रस्तर	**स्तम्भ-1** **विद्यमान व्यवस्था**	**स्तम्भ-2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित व्यवस्था**
4.1 नीति की अवधि एवं आच्छादन (Policy period & coverage)	उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 उसकी अधिसूचना तिथि से 5 (पांच) वर्षों के लिए वैध है। निवेश की अनुमति नीति की अधिसूचना की तिथि से दी जायेगी। इकाई को व्यवसायिक रूप से परिचालनरत करने के लिए दिया जाने वाला समय निम्नानुसार होगाः- (i.) रु 200 करोड़ तक निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 5 वर्ष (ii.) रु 200 करोड़ से अधिक तथा रु 1000 करोड़ से कम निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 6 वर्ष (iii.) रु 1000 करोड़ से अधिक अथवा समतुल्य निवेशः लेटर ऑफ कम्फर्ट की तिथि से 7 वर्ष	उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (द्वितीय संशोधन), दिनांक 20 अगस्त 2025 से 02 वर्ष अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई नई नीति/संशोधन किये जाने तक, जो भी पहले हो, वैध होगी। इकाई को व्यवसायिक रूप से परिचालनरत करने के लिए दिया जाने वाला समय निम्नानुसार होगाः- "उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020 (द्वितीय संशोधन)" के अन्तर्गत निवेश की अनुमन्य समयावधि की गणना इकाई द्वारा भूमि के निवेश को छोड़कर नीति की प्रभावी अवधि में पात्र स्थिर पूंजी निवेश हेतु आरम्भ किये गये निवेश की तिथि अथवा लेटर आफ कम्फर्ट के जारी होने की तिथि में से, जो पहले होगा उसके अनुसार होगा एवं निवेश की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।
4.1 नीति की अवधि एवं आच्छादन (Policy period & coverage)	नीति प्रयोज्यताः (i.) ऐसे निवेशक जिन्होंने **उ0प्र0** इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-**2017** के अन्तर्गत आवेदन किया और उन्हें विधिवत् लेटर ऑफ कम्फर्ट प्राप्त हुआ किन्तु **31** मार्च **2022** तक परियोजना का व्यवसायीकरण नहीं कर सके, उन्हें वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के	नीति के प्रस्तर 4.1 में निम्न प्राविधान जोड़ा जायेगाः- 4.1(iii) A उपरिवर्णित प्रस्तर i से iii के अंतर्गत वर्णित समयावधि और प्रोत्साहन के विषयगत किसी भी प्रकार की शिथिलता व प्रोत्साहन अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव मा0 मंत्रिपरिषद के समक्ष लाये जायेंगे और उपरोक्त विषयगत निवेश के कट-ऑफ एवं वाणिज्यिक परिचालन की

	लिए 31 मार्च 2022 से अतिरिक्त 12 माह का विस्तार प्रदान किया जायेगा। (ii.) ऐसे निवेशक जिन्होंने उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया किन्तु स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त करने के साथ ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर लिया है, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे। (iii.) जिन निवेशकों ने स्टाम्प ड्यूटी छूट, भूमि दर में छूट, विद्युत शुल्क आदि कोई एक अथवा अधिक प्रोत्साहनों का लाभ प्राप्त किया है, किन्तु ना तो उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत आवेदन किया और ना ही 31 मार्च 2022 तक परियोजना का व्यवसायीकरण कर सके, उन्हें उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017 के अन्तर्गत पूर्व में प्राप्त कर लिये गये प्रोत्साहनों के लिए ही स्वीकार्य माना जायेगा तथा वे अन्य किसी लाभ के पात्र नहीं होंगे। ऐसे निवेशकों को वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने के लिए 31 मार्च 2022 के बाद 12 माह का अतिरिक्त विस्तार प्रदान किया जायेगा। यदि निवेशक ने नीति के अन्तर्गत आवेदन नहीं किया है अथवा 31 मार्च 2023 तक	समयावधि में शिथिलता व इकाई को अनुमन्य प्रोत्साहन की सीमा मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा इस विषय में किये गये निर्णय के अधीन अनुमन्य की जा सकेगी।

	वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ कर पाने में असमर्थ है तो उसके द्वारा प्राप्त किये गये सभी लाभ की वसूली शासन/प्राधिकरण के नियमानुसार की जायेगी।	
अध्याय 5: प्रोत्साहन (Incentives)		नीति के अधीन प्रस्तर-5.1 में प्रोत्साहन लाभ हेतु वर्णित प्राविधान में अभ्युक्ति के पश्चात निम्न जोड़ा जायेगाः- "इलेक्ट्रानिक विनिर्माण की इकाइयां वाणिज्यिक परिचालन अत्यंत कम निवेश पर आरम्भ कर लेती हैं अतः इस उद्योग की विशिष्टता के दृष्टिगत इकाई के स्थिर पूंजी निवेश की पात्रता के मूल्यांकन को वाणिज्यिक परिचालन की दिनांक से कट आफ नहीं माना जायेगा और वाणिज्यिक परिचालन के तिथि (COD) के पश्चात यदि इकाई द्वारा स्थिर पूंजी निवेश जारी रखा जाता है तो उक्त हेतु चरणबद्ध रूप से पूंजी उपादान स्वीकृत किया जा सकेगा परन्तु किसी भी दशा में लेटर आफ कम्फर्ट में वर्णित राशि से अधिक की प्रोत्साहन पूंजी उपादान स्वीकार नहीं होगा। जिन इकाइयों द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त करने के दावा अपने प्रथम वाणिज्यिक परिचालन के पश्चात जारी रखे गए स्थिर पूंजी निवेश को सम्मिलित करते हुए प्रस्तुत किया जायेगा ऐसी इकाई के द्वारा किये गये कुल पात्र पूंजी निवेश पर मूल्यांकन उपरांत नीति के अनुरूप अर्हता/निर्धारित किये गए पूंजी उपादान की धनराशि के वितरण को दो समान वार्षिक किश्तों में इकाई को अनुमन्य किया जायेगा। दूसरी किश्त पहली किश्त के वितरण के आगामी वित्तीय वर्ष में वितरित होगी।"
अध्याय 5: प्रोत्साहन (Incentives)		नीति के अधीन प्रस्तर-5.13 के पश्चात नवीन प्रस्तर 5.14 निम्नवत् जोड़ा जायेगाः- **5.14 केस-टू-केस के आधार पर प्रोत्साहन** निवेश की परियोजनाओं को यथावश्यकता केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहनों का कस्टमाइज्ड पैकेज प्रदान किए जाने पर विचार किया जा सकता है। इस प्रकार केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहनों का कस्टमाइज्ड पैकेज प्रदान करने हेतु मा. मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन आवश्यक होगा।

अध्याय 5: प्रोत्साहन (**Incentives**)		नीति के अधीन नवीन प्रस्तर-5.14 के पश्चात प्रस्तर- 5.15 निम्नवत जोड़ा जायेगा:- विलय/विविलयन/आमेलन/कंपनी के संविधान में परिवर्तन(merger/demerger/amalgamation/change in constitution) तथा इस प्रकार के अन्य किसी माध्यम से गठित उत्तराधिकारी इकाईयां, इस नीति के अंतर्गत मूल औद्योगिक इकाई को अनुमन्य प्रोत्साहनों की भांति प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।